न्यायालय राजस्व मंडल केन्द्र ग्वालियर केम्प उज्जैन

प्रकरण क्र. 2017-18/निगरानी – 6219/2018/ देवास /भू.रा.

कमल सिंह ओजना
द्वारा प्रस्तुत

1. धरमसिंह पिता कन्हैयालाल जाति गुर्जर
   आयु 30 वर्ष व्यवसाय कृषि,
2. कोमलसिंह पिता कन्हैयालाल जाति गुर्जर
   आयु 26 वर्ष व्यवसाय कृषि,
   निवासीगण ग्राम बेहड़ी तहसील खातेगांव
   जिला देवास (म.प्र.) ......आवेदकगण

विरूद्ध

1. बिहारी पिता सुखदेव जाति बलाई
   निवासी- ग्राम बेहड़ी तहसील खातेगांव
   जिला देवास (म.प्र.)
2. राधेश्याम पिता रामनारायण वर्मा
   निवासी खातेगांव जिला देवास (म.प्र.)
3. श्रवण पिता राधेश्याम गुर्जर
   निवासी-ग्राम बेहड़ी तहसील खातेगांव
   जिला देवास (म.प्र.)
4. गोविन्द पिता हजारी गुर्जर
   निवासी-ग्राम बेहड़ी तहसील खातेगांव
   जिला देवास (म.प्र.)
5. रमेश पिता सालगराम जाति अहिर
   निवासी खातेगांव जिला देवास (म.प्र.)
6. श्रीमती शारदाबाई पति सालगराम
   निवासी-ग्राम भैसान तह. नसरूल्लागंज जिला
   सिहोर (म.प्र.)
7. श्रीमती सुमित्राबाई पति हरि यादव
   निवासी ग्राम शिवपुर तहसील शिवनी मालवा
   जिला होशंगाबाद (म.प्र.) ...अनावेदकगण

निगरानी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा. संहिता

माननीय महोदय,

आवेदकगण अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त महोदय उज्जैन संभाग

निरंतर 02

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक – 6219/2018/निगरानी/देवास/भू.रा.

थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अ आदि के हस्ताक्ष
12-04-19	यह निगरानी अपर अयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा प्रकरण कमांक 8/2014-15 अपील में पारित आदेश दिनांक 31-5-18 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर में दिनांक 26-10-18 को प्रस्तुत की गई है। 2/ निगरानी की ग्राह्यता पर आवेदकगण के अभिभाषक के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। 3/ निगरानीकर्ता के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को के कम में अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि यह निगरानी राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर में दिनांक 26–10–18 को प्रस्तुत की गई है। म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 (यथा सॅशोधन अधिनियम प्रभावशील दिनांक 25-9-2018) के अनुसार धारा 50 में निम्नानुसार व्यवस्था दी गई है- धारा 50 (2) पुनरीक्षण के लिये कोई आवेदन – (क) इस संहिता के अधीन अपीलीय किसी आदेश के विरूद्ध, (ख) इस संहिता के अधीन द्वित्तीय अपील में पारित किसी आदेश के विरूद्ध । ग्रहण नहीं किया जायेगा। तद्नुसार अपर अयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 31-5-18 के विरूद्ध निगरानी सुनवाई एंव ग्राह्य योग्य न होने से अमान्य की जाती है। पक्षकार टीप करें। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजकर प्रकरण नस्तीबद्ध करते हुये रिकार्ड रूम में जमा किया जाय। सदस्य	